



वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) दिसंबर, 2018

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report-FSR) का अठारहवाँ प्रकाशन जारी किया।

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- FSR वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम, साथ ही वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की उप-समिति के समग्र आकलन को दर्शाती है।
- यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और वनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है।

प्रणालीगत जोखिमों का समग्र आकलन (Overall Assessment of Systemic Risks)

- भले ही वैश्विक आर्थिक वातावरण और वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रवृत्त चिन्तयों का सामना कर रही हो, भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं।

वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम (Global and Domestic Macro-financial Risks)

- 2018 और 2019 के लिये वैश्विक विकास दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, हालाँकि अंतरनहित नकारात्मक जोखिम में वृद्धि हुई है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में वित्तीय प्रतर्बिधों को सख्त करके उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये जोखिम और अधिक बढ़ गया है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Advanced Economies-AEs) में क्रमिक मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अनिश्चिता भी उभरते बाज़ारों (emerging markets-EMs) के पूंजी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है और यह EM ब्याज दरों तथा कॉर्पोरेट के प्रसार पर अतिरिक्त दबाव को बढ़ा सकती है।
- घरेलू मोर्चे पर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) की वृद्धि ने 2018-19 की दूसरी त्रिमाही में मामूली सुधार दिखाया जबकि मुद्रास्फीति (Inflation) अंतर्वष्टि (Contained) है।
- घरेलू वित्तीय बाज़ारों (Domestic Financial Markets) में, ऋण मध्यस्थता (Credit Intermediary) में संरचनात्मक बदलाव और बैंकों और गैर-बैंकों के बीच वकिसति अंतरसंबंध अधिक सतर्कता का आह्वान करते हैं।

वित्तीय संस्थाएं: कार्यान्वयन और जोखिम (Financial Institutions: Performance and risks)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks-SCBs) की क्रेडिट वृद्धि ने मार्च 2018 और सितंबर 2018 के बीच सुधार दर्शाया है, जो बड़े पैमाने पर नज्जी क्षेत्र के बैंकों (Private sector Banks-PVBs) द्वारा संचालित हैं।
- बैंकों की आसति गुणवत्ता (asset quality) में SCB की सकल गैर-नष्पादित आसतियों (Gross Non-performing Assets-GNPA) के अनुपात में मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत से सितंबर 2018 में 10.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ सुधार देखा गया।
- आधारभूत परदृश्य के तहत GNPA का अनुपात सितंबर 2018 के 10.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 10.3 प्रतिशत हो सकता है।
- सितंबर 2017 से सितंबर 2018 की अवधि में वित्तीय नेटवर्क संरचना का विश्लेषण एक सकुडते हुए अंतर-बैंकिंग बाज़ार और धन जुटाने के लिये आसति प्रबंधन कंपनियों-म्युचुअल फंडों (Asset Management Companies-Mutual Funds-AMC-MFs) तथा ऋण देने के लिये NBFC/हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Company) के साथ बढ़ते बैंक लक्रेज की ओर संकेत करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
- यद्यपि प्रारंभ में यह नज्जी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
- वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जिन्होंने उर्जति पटेल का स्थान लिया है।

कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किये गए हैं:

- भारत में मौद्रिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक-नोटों के नरिगम को वनियमति करना तथा प्रारक्षति नधि(Reserves) को बनाए रखना ।
- सामान्य रूप से देश के हति में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालति करना ।
- अत्यधिक जटलि अर्थव्यवस्था की चुनौती से नपिटने के लयि आधुनकि मौद्रकि नीतफिरेमवरक तैयार करना ।
- वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना ।

वत्तितीय स्थरिता और वकिस परषिद

- वत्तितीय स्थरिता और वकिस परषिद (Financial Stability and Development Council - FSDC) का गठन दसिंबर 2010 में कयिा गया था ।
- परषिद की अधयक्षता केंद्रीय वत्ति मंत्री द्वारा की जाती है ।
- इसके सदस्यों में भारतीय रजिर्व बैंक के गवरनर, वत्ति सचवि, आर्थकि मामलों के वभिाग के सचवि, वत्तितीय सेवा वभिाग के सचवि, मुख्य आर्थकि सलाहकार, वत्ति मंत्रालय, SEBI के अधयक्ष, IRDA के अधयक्ष, PFRDA के अधयक्ष को शामिल कयिा जाता है ।

यह क्या कार्य करता है?

- परषिद का कार्य वत्तितीय स्थरिता, वत्तितीय क्षेत्र के वकिस, अंतर-नयिामक समन्वय, वत्तितीय साक्षरता, वत्तितीय समावेशन तथा बड़ी वत्तितीय कंपनयिों के कामकाज सहति अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे-छोटे मुद्दों का वविकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है ।
- इसके अतरिकित इस परषिद को अपनी गतविधियिों के लयि अलग से कोई कोष आवंटति नहीं कयिा जाता है ।

स्रोत : रजिर्व बैंक वेबसाइट

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/financial-stability-report-2018>

